

धारा-135. कतिपय अधिनियमों का सहकारी समितियों पर लागू न होना- इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट, 1947(ऐक्ट संख्या 15, 1947) और यू0पी0 इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट 1947 (यू0पी0 संख्या 28,1947) के उपबन्ध सहकारी समितियों पर लागू न होंगे।